CGRN070017952022
विविध दाण्डिक प्रकरण क्र.– 39/2022
संस्थित दिनांक–17.10.2022

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ, जिला– राजनांदगांव (छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारी– शैलेश कुमार वशिष्ट)

विविध दाण्डिक प्रकरण क्र.– 39/2022
संस्थित दिनांक–17.10.2022

हेमलता चौरे पति दिनेश चौरे, उम्र 33 वर्ष,
निवासी जेलरोड, पी.एच.ई. आफिस के पीछे, वार्ड नं. 21, डोंगरगढ़
जिला राजनांदगांव (छ.ग.) ---- आवेदिका

= बनाम=

दिनेश चौरे पिता राधश्याम चौरे, उम्र 33 वर्ष,
निवासी ग्राम कोकपुर, तहसील व थाना डोंगरगांव,
जिला राजनांदगांव (छ.ग.) ---- अनावेदक

आवेदिका की ओर से श्री दौलत महोबिया अधिवक्ता।
अनावेदक एकपक्षीय ।

= आदेश=
(आज दिनांक 09.09.2024 को पारित)

1. इस आदेश द्वारा आवेदिका के आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–125 द.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि आवेदिका का विवाह अनावेदक से हिन्दू विधि विधान के अनुसार दिनांक 16.06.2024 को हुआ था ।

3. आवेदका का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका एवं अनावेदक का विवाह डोंगरगढ़ में दिनांक 16.06.2014 को हिन्दू विधि विधान के अनुसार संपन्न हुआ था । विवाह के पश्चात् आवेदिका एवं अनावेदक पति पत्नी के रूप में ग्राम कोकपुर थाना व तहसील डोंगरगाँव जिला राजनांदगाँव मे रहे एवं दोनों ने एक दूसरे के प्रति दाम्पत्य अधिकारों का निर्वाह किया। आवेदिका एवं अनावेदक का दाम्पत्य जीवन ठीक से निभ रहा था कि शादी के एक वर्ष बाद से आवेदिका को अनावेदक ने अनावश्यक ही शराब पीकर मारपीट करना प्रारंभ कर दिये। आये दिन

CGRN070017952022
विविध दाण्डिक प्रकरण क्र.– 39/2022
संस्थित दिनांक–17.10.2022

मारपीट करने से आवेदिका एकदम से परेशान हो गयी है। लगभग दो वर्ष पूर्व कोविड–19 के पूर्व आवेदिका से अत्यधिक मारपीट किया गया। जिस पर थाना छुरिया में दिनांक 10.11.2020 को लिखित में शिकायत की थी और आवेदिका अपने माता पिता के घर डोंगरगढ़ आ गयी थी। आवेदिका ने महिला प्रकोष्ट राजनांदगाँव में शिकायत की थी। अनावेदक के द्वारा आवेदिका से घरेलु हिंसा कर लड़ाई झगड़ा करते रहे है और बात बात मे विवाद करता रहा है। आवेदिका ने अनावेदक को कई बार समझाया कि आप दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करो किन्तु अनावेदक के क्रूरता पूर्ण व्यवहार एवं अनावश्यक घरेलु हिंसा से आवेदिका परेशान हो चुकी है तथा आवेदिका का अनावेदक के साथ में रहना दुर्भर हो गया है।

4. आवेदिका ने आगे कथन किया है कि अनावेदक कभी भी आवेदिका को लेने नहीं आया है। आवेदिका को मारपीट कर घर से निकाल बाहर कर दिया गया है। अनावेदक नगर पंचायत छुरिया में स्वीपर का काम करते है। जिससे प्रतिमाह 15,000/–रूपये आय प्राप्त होता है। अनावेदक के पास ग्राम कोकपुर में कृषि भूमि भी है। जिससे प्रतिवर्ष 1,00,000/– रूपये आय प्राप्त होता है। आवेदिका का आय का कोई जरिया नहीं है। आवेदिका, अनावेदक से प्रतिमाह 5,000/– रूपये भरण पोषण प्राप्त करना चाहती है। जिसे अदा करने को अनावेदक सक्षम है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः माननीय महोदय निवेदन है कि आवेदिका को 5,000/– (पाँच हजार रूपये) प्रतिमाह भरणपोषण दिलाये जाने की आदेश दिये जाने की दया की जाये।

5. अनावेदक ने अंतरिम भरण-पोषण आवेदन पत्र के खिलाफ जवाब प्रस्तुत किया है। आवेदिका स्वयं अनावेदक से अलग रहना चाहती है और उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें पति को जेल भेजने की धमकी दी गई। अनावेदक ने कभी भी आवेदिका के साथ मारपीट नहीं की, जबकि वह अनावेदक और उसके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है।

CGRN070017952022
विविध दाण्डिक प्रकरण क्र.– 39/2022
संस्थित दिनांक–17.10.2022

अनावेदक ने समाज प्रमुखों के साथ मिलकर आवेदिका को घर वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने ससुराल जाने से इंकार करती रही। इस मानसिक दुर्व्यवहार के कारण अनावेदक का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, और वह मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. प्रमोद गुप्ता से इलाज करा रहा है। अनावेदक को नगर पंचायत छुरिया से स्वीपर के पद से निकाल दिया गया है, और वर्तमान में वह अपने भाई मुकेश चौरे पर निर्भर है। उसके पास न तो कोई कृषि भूमि है और न ही कोई आय का साधन। अनावेदक ने बताया कि विवाह के बाद से आवेदिका ने उसे अलग रहने के लिए दबाव बनाया और छोटी-छोटी बातों पर झगड़ती रही, जिससे वह मानसिक तनाव में रहने लगा। इस स्थिति को देखते हुए, अनावेदक माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता है कि उपरोक्त जवाब स्वीकार कर आवेदिका द्वारा प्रस्तुत अंतरिम भरण-पोषण आवेदन को खारिज किया जाए। न्यायालय की कृपा से अनावेदक को न्याय मिले और उसकी स्थिति को समझा जाए।

6. अनावेदक दिनांक 20.08.2024 से एकपक्षीय हैं ।

7. आवेदिका द्वारा अपने आवेदन पत्र के समर्थन में स्वयं का परीक्षण कराया गया है।

8. **आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं–**

1–क्या आवेदिका के पास अनावेदक से पृथक रहने के पर्याप्त कारण है ?
2–क्या अनावेदक भरण पोषण का पर्याप्त साधन रखता है ?
3–क्या अनावेदक ने आवेदिका का भरण पोषण करने में उपेक्षा की है ?
4–क्या आवेदिका अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है ?

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष

9. इस संबंध में आवेदिका एवं अनावेदक का विवाह डोंगरगढ़ में दिनांक 16.06.2014 को हिन्दू विधि विधान के अनुसार संपन्न हुआ था । आवेदिका क्रमांक 1 शादी के

CGRN070017952022
विविध दाण्डिक प्रकरण क्र.– 39/2022
संस्थित दिनांक–17.10.2022

बाद विदाई होकर ग्राम गोटाटोला के घर में गई । विवाह के पश्चात् आवेदिका एवं अनावेदक पति पत्नी के रूप में ग्राम कोकपुर थाना व तहसील डोंगरगाँव जिला राजनांदगाँव मे रहे एवं दोनों ने एक दूसरे के प्रति दाम्पत्य अधिकारो का निर्वाह किया। आवेदिका एवं अनावेदक का दाम्पत्य जीवन ठीक से निभ रहा था कि शादी के एक वर्ष बाद से आवेदिका को अनावेदक ने अनावश्यक ही शराब पीकर मारपीट करना प्रारंभ कर दिये। आये दिन मारपीट करने से आवेदिका एकदम से परेशान हो गयी है। लगभग दो वर्ष पूर्व कोविड–19 के पूर्व आवेदिका से अत्यधिक मारपीट किया गया। जिस पर थाना छुरिया में दिनांक 10/11/2020 को लिखित में शिकायत की थी और आवेदिका अपने माता पिता के घर डोंगरगढ़ आ गयी थी। आवेदिका ने महिला प्रकोष्ट राजनांदगाँव में शिकायत की थी।

10. आवेदिका द्वारा आगे कथन किया है कि अनावेदक के द्वारा आवेदिका से घरेलु हिंसा कर लड़ाई झगड़ा करते रहे है और बात बात में विवाद करता रहा है। आवेदिका ने अनावेदक को कई बार समझाया कि आप दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करो किन्तु अनावेदक के क्रूरता पूर्ण व्यवहार एवं अनावश्यक घरेलु हिंसा से आवेदिका परेशान हो चुकी है तथा आवेदिका का अनावेदक के साथ में रहना दुर्भर हो गया है।

11. आवेदिका के द्वारा अपने धारा 125 द.प्र.स के मूल आवेदन के कथनों को समर्थन अपने मुख्य परीक्षण अंतर्गत शपथपत्रीय कथन से भी किया गया है । आवेदिका के द्वारा अपने कथनों में अनावेदक के द्वारा उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करना बताया है जिस कारण से वह अनावेदक से अलग रह रही थी। अनावेदक न्यायालय में उपस्थित तो हुआ परन्तु वह दिनांक 20.08.2024 को न्यायालय में अनुपस्थित हुआ, जिसके पश्चात उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई, जिस कारण से अनावेदक के द्वारा आवेदिका एवं उसके अन्य साक्षियों का कोई खण्डन नहीं किया गया है । इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि आवेदिका अनावेदक से पर्याप्त कारण से अलग रह रही है।

CGRN070017952022
विविध दाण्डिक प्रकरण क्र.– 39/2022
संस्थित दिनांक–17.10.2022

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष

12. आवेदिका हेमलता चौरे का कथन है कि अनावेदक नगर पंचायत छुरिया में स्वीपर का काम करते है। जिससे प्रतिमाह 15,000/–रूपये आय प्राप्त होता है। अनावेदक के पास ग्राम कोकपुर में कृषि भूमि भी है, जिससे प्रतिवर्ष 1,00,000/– रूपये आय प्राप्त होता है। अनावेदक पर कोई पारिवारिक जिम्मेदारी भी नहीं है, जिस कारण से अनावेदक उसका भरण पोषण करने में समक्ष हैं । इस संबंध में भी चूॅकि अनावेदक एकपक्षीय रहा है, इस कारण से आवेदिका के कथनों का खण्डन नहीं हो सका है । इस प्रकार इस तथ्य पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है कि अनावेदक के वेतन एवं कृषि भूमि से वह आय अर्जित नहीं करता है । उल्लेखनीय है कि अनावेदक दिनेश चौरे कि वास्तविकता में कितनी आय है, इस संबंध में आवेदिका के द्वारा अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । इसलिये अनावेदक की कितनी आय है इस संबंध में कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता, परन्तु यह प्रमाणित है कि वह स्वीपर के कार्य से आय अर्जित करता है । अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में विचारणीय बिन्दु क्रमांक 02 का यह निष्कर्ष है कि अनावेदक भरण पोषण करने के लिये पर्याप्त साधन रखता हैं।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष

13. आवेदिका हेमलता चौरे के अनुसार आवेदिका जब से अनावेदक से पृथक रह रहे हैं तब से उन्हें भरण पोषण हेतु कोई राशि भी नहीं दी हैं । वह अपने माता पिता के घर रही है । प्रकरण में यह स्वीकृत है कि आवेदिका अनावेदक से पृथक रह रही हैं । अनावेदक ने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है कि वह आवेदिका का भरण पोषण कर रहा हो । अनावेदक ने न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम भरण पोषण के पालन में नियमित भरण पोषण भी अदा नहीं किया है, इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक आवेदिका का भरण पोषण नहीं कर रहा है । परिणाम स्वरूप विचारणीय

CGRN070017952022
विविध दाण्डिक प्रकरण क्र.– 39/2022
संस्थित दिनांक–17.10.2022

बिन्दु क्रमांक 03 के संबंध में न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अनावेदक ने आवेदिका का भरण करने में उपेक्षा की हैं ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 04 का निष्कर्ष

14. इस संबंध में आवेदिका का कथन है कि वह अपने माता पिता के घर डोंगरगढ़ में रह रही हैं । आवेदिका के द्वारा यह कथन किया गया है कि आवेदिका का आय का कोई जरिया नहीं है। अनावेदक एकपक्षीय रहा है, जिस कारण वह कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि आवेदिका के पास अपने भरण पोषण करने हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध है । फलतः विचारणीय बिन्दु क्रमांक 04 के संबंध में न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि आवेदिका अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है ।

//अंतिम आदेश//

15. उपरोक्त विवेचना तथा विचारणीय बिन्दु से प्राप्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि अनावेदक भरण पोषण करने का पर्याप्त साधन रखता हैं । आवेदक अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं । यह प्रामाणित नहीं हुआ है कि आवेदिका पर्याप्त कारण के बिना अनावेदक से पृथक रह रही है । अतः आवेदिका अनावेदक से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी हैं ।

16. अनावेदक के आय के संबंध में स्पष्ट प्रमाण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है । परंतु अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत जवाब से यह स्पष्ट है कि अनावेदक नगर पंचायत छुरिया में स्वीपर का कार्य करता था जिसे उसकी स्थिति को देखते हुए उसे उसके कार्य से विगत तीन वर्षों से निकाल दिया गया है। अनावेदक ने जवाब में बताया कि वर्तमान में अनावेदक पूर्ण रूप से अपने बड़े भाई मुकेश चौरे पर आश्रित है। यदि ऐसा था तो अनावेदक को इस संबंध में न्यायालय उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करना था । विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 में न्यायालय के द्वारा अनावेदक को आवेदिका का भरण पोषण करने में सक्षम पाया हैं । अतः प्रकरण की परिस्थितियो, पक्षकारो की सामाजिक

CGRN070017952022
विविध दाण्डिक प्रकरण क्र.– 39/2022
संस्थित दिनांक–17.10.2022

परिस्थिति, उनका रहना सहन व जीवन स्तर तथा वर्तमान महंगाई व जीवन निर्वह व्यय को दृष्टिगत रहते हुये **आवेदिका हेमलता चौरे हेतु 2,000/– रूपये (दो हजार रूपये) कुल 2,000/– रूपये** का भरण पोषण नियत किया जाता हैं ।

17. आवेदिका को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में अंतरिम भरण पोषण प्राप्त करने हेतु आदेशित किया गया है । इस कारण से आवेदिका को अनावेदक से भरण पोषण **आदेश दिनांक** से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि आदेश दिनांक से **आवेदिका हेमलता चौरे को 2,000/– रूपये, कुल 2,000/–रूपये** भरण पोषण स्वरूप अदा करेगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदिका अंतरिम भरण पोषण की शेष राशि भी अनावेदक से प्राप्त करने की अधिकारी हैं ।

18. आदेश की प्रति आवेदिका को निःशुल्क दी जावे।

आदेश आज दिनांक को दिनांकित,
मेरे निर्देश पर टंकित।

सही/–
(शैलेश कुमार वशिष्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

हस्ताक्षरित कर पारित ।

सही/–
(शैलेश कुमार वशिष्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)